

नम्बर 2
अहमदाबाद
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-83/2019 प्रार्थना पत्र

श्री मगना पिता प्यारा जाट, उम्र बालिग, निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री शंकरलाल पिता मोहनलाल कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2-श्री उदयलाल पिता मोहनलाल कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 3-कंकु पुत्री मोहनलाल कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 4-श्रीमति शाता देवी पत्नि मीठू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 5-श्री जगदीश पिता मीठू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 6-श्री रोशन पिता मीठू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 7-श्री ईश्वर पिता लेहरूलाल जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 8-श्री भैरू पिता उगमा जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 9-श्रीमति बदाम पत्नि उगमा जाट, उम्र बालिग निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 10-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-6.5.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नई ईरास पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3676/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे कस्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 7.3.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 10 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 10 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल कस्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः




उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम नई ईरास पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3676/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 200/-रूपये (दो सौ रूपये) कमिस्तर फीस पर कमिस्तर नियुक्त किया जाता है। कमिस्तर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिस्तर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डबी)

आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा



निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा